न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 00028 / 2017

उनवान
पप्पूबाई

अप्रार्थी / वादी

बनाम
कृपालसिंह

प्रार्थी / प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति:—
प्रार्थी / प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री एहसान मौहम्मद।
अप्रार्थी / वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री लियाकत अली।

निर्णय

दिनांक 12 / 02 / 2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा0 दी0 का इस आशय का पेश किया है कि माननीय न्यायालय में वादी की साक्ष्य में तारीख पेशी नियम है। वादी ने वाद माननीनय न्यायालय में कानून के प्रावधारों के विपरित पेश किया गया। उक्त वाद में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खसडन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वोलेशन हो रहा है। वादी प्रतिवादी के खातेदारी की भूमि या सम्पत्ति में प्रतिवादी के जीवित रहते हुए सम्पत्ति में हक हस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। वादी व प्रतिवादी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। वादी प्रतिवादी की विवाहिक पत्नी है। परन्तुं उसने वैवाहिक दायित्वों व कर्त्तव्यों का पालना हीं किया है। वह जानबुझकर विवाद के बाद ही प्रतिवादी से बिना कारण अपने माता पिता के पास रह रही है। वादिया चरित्रहीन है थाना गरोठ में वादिया के खिलाफ नाजाईज बच्चा पौदा करने उसे मार डालने का प्रकरण संख्या 02 / 208 में धारा 302, 318 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज होकर चालान पेश हो चुका है। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट चौमहला में पप्पूबाई बनाम कृपालसिंह धारा 125 सीआरपीसी प्रकरण संख्या 332 / 2016 में भरण पोषण की राशि सन् 2016 से प्रतिवादी से प्राप्त कर रही है। वादी ने प्रतिवादी से जीवन निर्वाह भत्ता की भरण पोषण

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावाड़)

राशि आज तक 140000/– प्राप्त कर चुकी है। जिसके दस्तावेज संलग्न है। वादी प्रतिवादी से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर करती है। वादीगण प्रतिवादी की सम्पत्ति में हक हिस्सा उसके जीवनकाल में प्राप्त नहीं कर सकती है वादी का वादी निधि द्वारा वर्जित है। इस कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद इस स्तर पर खारिज फरमाने की कृपा करें।

2. अप्रार्थी/वादीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषनीय नहीं है। प्रार्थना पत्र बलहीन सारहीन व निराधार है। जहांतक धारा 125 सीआरपीसी के अन्तर्गत भरण पोषण वादनी द्वारा प्रस्तुत करने का प्रश्न है उसका मौजूद प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीन प्रतिवादी की विवाहित पत्नी है वादग्रस्त भूमि में वादीनी का नोशनल शेयर है। आदेश 07 रूल्स 11 सीपीसी के आवश्यक तत्व व परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं अन्य कारण बहस के समय मौखिक निवेदन किये जावेगें। निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी एवं अभिभाषक अप्रार्थी/वादी की बहस सुनी एवं मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 ने बहस प्रार्थना पत्र के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी ग्राम लसुडिया की विवादित का अभिलिखित खातेदार कृषक है और प्रार्थी के जीवन काल में उसकी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति में अप्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। पति जीवित रहते हुए पत्नी को उसकी कृषि आराजी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। केवल पैतृक सम्पत्ति में पिता/पति के जीवनकाल में उसके बच्चों को ही जन्म से हक व अधिकार प्राप्त होता है। पति से पत्नी केवल जीवन निर्वाह हेतु भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है। अप्रार्थीया को एसीजीएम कोर्ट चौमहला से धारा 125 सीआरपीसी के अधीन नियमित रूप से भरण पोषण भत्ता प्राप्त हो रहा है। अतः अप्रार्थीया/वादिया द्वारा पेश वाद पत्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
बंगधार (झालावाड़)

के प्रावधानों से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को स्वीकार फरमाया जाकर वाद खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादीया ने अभिभाषक प्रार्थी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में तनकीयात कायम होकर साक्ष्य स्तर पर लम्बित है और इस स्तर पर प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को लम्बा और न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए दुर्भावनावश प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 का पेश किया है, जो किसी भी स्तर पर चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को खारिज फरमाया जावे।

6. अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में वाद पत्र व सलग्न लसुडिया की जमाबन्दी सवंत 2068–71, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, जवाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन व मनन किया गया। वाद पत्र के मद क्रम 1, 2, 3 व 5 एवं सलग्न जमाबन्दी संवत 2068–71 के अवलोकन से जाहिर है कि **विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है और अप्रार्थीया/वादिया, प्रार्थी की पत्नी है एवं प्रार्थी/पति जीवित है**। विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है या स्वअर्जित सम्पत्ति यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से स्पष्ट नही है और न ही इस प्रार्थना पत्र में इसका निर्धारण किया जाना हैं। वाद पत्र के मद क्रम 3, 6, 7, 8 व 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रार्थी के खाते की आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन अपना हक व अधिकार यानी पैतृक सम्पत्ति में नोशनल शेयर को खाते दर्ज कर विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं संशोधित अधिनियम 2005 के अनुसार पति की पैतृक सम्पत्ति में उसके जीवनकाल में पत्नी का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। हिन्दू (मितिक्षरा) विधी के अनुसार संयुक्त हिन्दू (मितिक्षरा) परिवार के केवल सहदायिकी ही परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति में अपना हक व अधिकार रखते है। धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भी केवल सहदायिकी का ही पैतृक सम्पत्ति में हक व अधिकार निहित होता है और पत्नी पति के जीवन काल में **सहदायिकी (Co-parcener)** नहीं है। यदि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति का विभाजन होता है और पति सहदायिकी के रूप में अपना पृथक हिस्सा प्राप्त करता है तो केवल पति के निर्वसीयत फौत होने पर ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में पत्नी का हक व

उपखण्ड अ.
बांगधार (झालावाड़)

अधिकार बनता है। पति के जीवनकाल में पत्नी का कोई भी नोशनल शेयर नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 20 के अनुसार पिता की पैतृक सम्पत्ति में केवल उसके बच्चों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होता है।

7. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पति के जीवनकाल में उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति में भी पत्नी का कोई नोशनल शेयर यानी हक व अधिकार निहित नहीं होता है। केवल पति के निर्वसीयत फौत होने पर ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की **धारा 8** के अधीन प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में पत्नी का हक व अधिकार बनता है। प्रार्थी पति अभी जीवित है। धारा 8 के प्रावधानों का अवलोकन निम्नानुसार है :–

Sec. 8- General rules of succession in the case of males. - The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter-

(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;

(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;

(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and

(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

8. हिन्दू विधी के अनुसार एक हिन्दू पत्नी एवं विधवा को अपने जीवन के पृथक निर्वाह हेतु पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए पत्नी अप्रार्थीया हिन्दू एडोप्शन एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के साथ साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अपने जीवन निर्वहन हेतु पति से उसकी सम्पत्ति एवं आय से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है न कि उसकी सम्पत्ति में नोशनल शेयर प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अप्रार्थीया/वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर चाहा गया अनुतोष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं अन्य हिन्दू विधी के प्रावधानों से वर्जित है।

9. सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के दायरे और इसके अन्तर्गत न्यायालय की अधिकारिता को समझने के लिए उक्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन करना उचित है जो निम्न प्रकार है– Rule 11- Rejection of plaint:- The plaint shall be rejected in the

उपखण्ड अधिकारी
बगधार (झालावाड़)

following cases :- (a) where it does not disclose a cause of action, (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so,

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so,

(d) where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law,

(e) where itb is filed in duplicate,

(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.

10. उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जावेगा। यदि 'क' वाद हेतु की प्रकट नहीं किया गया हो, 'ख' अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, 'ग' वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, 'घ' वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो एवं 'ड' डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं किया हो। अतः इस प्रयोजना हेतु उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियम 'घ' की शब्दावली पर ध्यान देना आवश्यक है। उपनियम 'घ' की शब्दावली "Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law"- पर भी ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय यह है कि 'वादपत्र के कौन से अभिकथन' के कारण दावा "किस विधी" से वर्जित है। अगर वाद पत्र के किसी अभिकथन/नों से दावा विधि से वर्जित है तो आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर दावे को प्राथमिक रूप से खारिज किया जा सकता है।

11. उक्त हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीया/वादिया द्वारा वाद पत्र में प्रार्थी/प्रतिवादी की विवादित कृषि आराजी में पत्नी के रूप में अपना नोशनल शेयर पर खातेदार कृषक घोषित होकर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं संशोधित

उपखण्ड अधिकारी
भंगधार (झालावाड़)

अधिनियम 2005 के प्रावधानों यथा धारा 6, 8, 20 आदि से वर्जित होने के कारण अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 'घ' सीपीसी के अधीन इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीया/वादिया का वाद इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

13. यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/24

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहार
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
मनोहार थाना (झालावाड़)